न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 91/2017

1. मनीदेवी पत्नी गोरखाराम उर्फ गोरधनराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. विद्या पत्नी बुधाराम पुत्री गोरखाराम उर्फ गोरधनराम जाति जाट निवासी तलवाडा झील हाल ढ़ाणी पाडूसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर जरिये मु.आ. गौरीशंकर पुत्र खुमाणाराम जाति जाट निवासी 23 आरजेडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर । ---अपीलार्थीगण

बनाम

1. राममूर्ति पुत्री गोपालराम पत्नी भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी पुरानी मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. जगदीश
3. ब्रहमदेव
4. आत्माराम

} पिसरान गोपालराम जाति बिश्नोई निवासीगण 4 पी.एच.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

5. रामदेवी पुत्री गोपालराम पत्नी धोकलराम जाति बिश्नोई निवासी 7 के.पी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धड़साना। ---रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी घड़साना

दिनांक 09.10.2014

उपस्थित:-

श्री राजाराम पूनिया अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुशील बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेन्टान

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

13/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 18.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिया/रेस्पो. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 53, 15 एएए के तहत पेश कर कथन किया कि चक 9 केपीडी के मु.नं. 198/26 के कि.नं. 3 से 8, 12 से 25 की 4.454है0 भूमि आराजी राज राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिस पर वादिया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः उक्त भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषधाज्ञा जारी की जावे कि वादिया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। राज्य सरकार की ओर से जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1से 4 ने जबाव दावा पेश कर वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने 4 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 09.10.2014 को वाद स्वीकार करते हुए वादिया को विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि रकबा राज है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। विवादित भूमि अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अधी.न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने आदेश पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिया द्वारा वाद पेश करने पर प्रतिवादीगण ने इकबाली जबाव दावा पेश किया जिस पर अधी.

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय ने वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युतर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलार्थीगण ने अपील आदेश दिनांक 09.10.2014 के विरूद्ध दिनांक 08.06.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 09.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा विवादित आराजी रकबा राज पर रेस्पो. को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जबकि विवादित आराजी पर अपीलांट व अपीलांट के पूर्वज गोरखाराम का 1975 से कब्जा है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी, अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अधी.न्यायालय में प्रस्तुत दावा एवं उसका निर्णय राजस्व रेकार्ड के विपरीत एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत होना प्रतीत हुआ क्योंकि राममूर्ति पुत्री गोपालराम ने अपने भाई व बहिन क्रमशः जगदीश, ब्रहमदेव, आत्माराम पुत्रगण गोपालराम, रामदेवी पुत्री गोपालराम को पक्षकार बनाकर घोषणात्मक खातेदारी का दावा पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण का इकबालिया जबाव दावा प्राप्त हुआ तथा दावा डिक्री होकर सरकारी भूमि वादिया राममूर्ति के नाम करने के आदेश दिये। चूंकि दावा डिक्री होने पर जिसके विरूद्ध दावा डिक्री किया जाता है उसके नाम को हटाने हेतु

18/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जमाबंदी के इन्द्राजात नामान्तरणकरण के कालम संख्या 1 से 8 तक इन्द्राजात भरे जाकर प्रतिवादियों के नाम अंकित होना व उसकी जगह कालम संख्या 9 से 16 में डिकी holder के इन्द्राजात अंकित कर नामान्तरणकरण स्वीकृत होना नियमाकूल होता है परन्तु प्रकरण के निर्णय का अमल कैसे हुआ परीक्षण हेतु सन्दर्भ नामान्तरणकरण की सत्यापित प्रति मंगवाई, जिसे देखने से यह साबित हुआ कि सन्दर्भ नामान्तरण संख्या 145 के कालम संख्या 1 से 8 तक आराजी राज दर्ज व कालम संख्या 9 से 16 तक डिकी होल्डर के इन्द्राजात दर्ज हैं जो नियमों एवं प्रकियानुसार विधि सम्मत नहीं है। इसी दौरान प्रकरण हाजा में राजकीय अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश जिसकी इबारत है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी:– " न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर। अपील सं. 91/2017 उनवानी

1. मनीदेवी पत्नी गोरखाराम उर्फ गोरधनराम जाति जाट निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. विद्या पत्नी बुधराम पुत्री गोरखाराम उर्फ गोरधनराम जाति जाट निवासी तलवाडा झील हाल ढाणी पाण्डूसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर जरिये मु.आम गौरीशंकर पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी 23 आर.जे.डी.तहसील घडसाना। ––अपीलार्थी

बनाम

1. राममूर्ति पुत्री गोपालराम पत्नी भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी पुरानी मण्डी घडसाना ।
2. जगदीश
3. ब्रहमदेव
4. आत्माराम

(2–4) पुत्रगण गोपालराम जाति बिश्नोई निवासीगण 4 पी.एच.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

5. रामदेवी पुत्री गोपालराम पत्नी धोकलराम जाति बिश्नोई निवासी 7 केपीडी तहसील घडसाना।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घडसाना। ––रेस्पोंडेंट

महोदय,

उपरोक्त अनवानी अपील में अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना की पत्रावली तलब होकर प्राप्त होने पर दिनांक 08.11.2017 को अपील बहस पर नियत होने एवं राजस्थान सरकार पक्षकार होने से बहैसियत राजकीय अभिभाषक राजकीय पैरोकारी के दौरान, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया कि :–

1. उपखण्ड अधिकारी घडसाना के न्यायालय में प्रकरण सं. 102/2011 उनवानी राममूर्ति पुत्री गोपालराम पत्नी भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी पुरानी मण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ––वादीया

बनाम

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(1) जगदीश
(2) ब्रह्मदेव पुत्रगण गोपालराम जाति बिश्नोई निवासीगण 4 पी.एच.एम. तहसील खाजूवाला
(3)आत्माराम जिला बीकानेर।
(4) रामदेवी पुत्री गोपालराम पत्नी धोकलराम जाति बिश्नोई निवासी 7 केपीडी तहसील घडसाना।
(5) स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना। —प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. दर्ज होकर दिनांक 09.10.2014 को पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां द्वारा तहसील घडसाना के चक 9 केपीडी के मु.नं. 198/26 कि.नं. 3 से 8, 12 से 19 व 22 से 25 की 4.454है0 भूमि आराजी राज(सरकारी भूमि) गलत तरीके से वादी के पक्ष में डिकी कर इस भूमि का वादी/रेस्पां. को खातेदार कृषक घोषित किया है जो वादी की कोई Locus- standai नहीं होने से दावा डिकी किया है।

2. यह कि वादी राममूर्ति पुत्री गोपालराम ने अपने भाईयों जगदीश, ब्रह्मदेव, आत्माराम व बहिन रामदेवी को दावे में पक्षकार बनाया जाकर न केवल दुरभि संन्धि अपितु षडयन्त्र कर विवादित आराजी जो सरकारी भूमि की पीठासीन अधिकारी से मिलकर डिकी के रूह में हडप ली जो न केवल विधि विरूद्ध निर्णय है अपितु आपराधिक कानून में षडयंत्र व Tempering of record है जो निर्णय अपास्त योग्य एवं षडयंत्रकारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने योग्य है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने मिलकर दावे में घोषणा का वाद एवं उस पर इकबाली जबाब लेकर दावा डिकी हुआ है जबकि विवादित आराजी न वादी की, न ही प्रतिवादी की रही। यह विशुद्ध रकबा राज वादी, प्रतिवादी, पीठासीन अधिकारी के Nexus से सरकारी भूमि हडपने आपराधिक कृत्य है जिसमें राज्य सरकार की लाखों की सम्पत्ति लुटने की परिभाषा में आता है। अतः इस प्रा.पत्र को स्वीकार कर तुरन्त दावा खारिज कर विवादित आराजी पुनः रकबा राज घोषित करने का श्रम करावे।

4. यह कि उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा दावा में निर्णित तनकीयात में तनकी सं. 3 में " आया पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग एवं जमाबन्दी सम्वत् 2047 से रकबा राज चला आ रहा है। अतः दावा खारिज योग्य का विनिश्चय की साक्ष्य के अभाव में राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णित की है, दस्तावेजी साक्ष्य Self Explanatory है कि भूमि सरकार की है, फिर भी उसे न मानना न केवल निरकुंशता का अपितु पीठासीन अधिकारी द्वारा मानना कानून वह नहीं है जो Book Of Law में अपितु कानून वह है जो जंगलराज में जिसकी लाठी उसकी भैंस के रूप में वर्णित है।

5. यह कि वादी, प्रतिवादी पीठासीन अधिकारी से मिली भगत से सरकार भूमि हडपने के जो कागजात तैयार किये हैं वह भारतीय दण्ड संहिता का अपराध के साथ-साथ विभिन्न आपराधिक विधियों में भी परीक्षण योग्य है यथा Anti Corruption Act, CCA नियम, RSR Conduct Rules ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नियम विरूद्ध हुए निर्णय को अपास्त करने का श्रम करावे। राजकीय अधिवक्ता, राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर।

राजस्व अपील अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट व रेस्पो. को जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजी गई जिसकी compliance में दिनांक 27.11.2017 को इस न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के हासिये में श्री सुशील गोदारा अधिवक्ता द्वारा undertaking दी कि " रेस्पों. सं. 1 से 5 की ओर से रेस्पों. सं. 1 से 5 की ओर से वकालतनामा पेश कर देगें" जो दिनांक 6.12.2017 को रेस्पो. की तरफ से वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी की प्रति अभिभाषक रेस्पो. को तामील करवाई गई के बाद पत्रावली पुनः बहस पर दिनांक 10.01.2018 को पेश हुई. दिनांक 10.01.2018 को उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा जाहिर किया किया राजकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र की ताईद करते है। अभिभाषक रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र का कोई जबाव देने के बजाय अपीलाधीन आदेश को सही होना बताकर अपील का निर्णय करने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांट अभिभाषक द्वारा राजकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है, वही रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा कोई denial पेश नहीं किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न केवल अधी.न्यायालय का निर्णय खारिज करने का अनुरोध किया, अपितु पीठासीन अधिकारी करतारसिंह से मिलकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने षड़यन्त्रपूर्वक सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत राजकीय भूमि हड़पने के दस्तावेज तैयार कर दावा डिक्री किया है, वह दावा डिक्री न होकर Tempering of Record है जो भारतीय दण्ड संहिता का अपराध है तथा पीठासीन अधिकारी का कृत्य पद का दुरूपयोग होकर भ्रष्टाचार निरोधक कानून व conduct नियमों में कार्यवाही योग्य है। सरकारी स्तर से सन्दर्भ नियमों में कार्यवाही करने का अनुरोध किया। गहन मनन पश्चात राजकीय अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय में दिनांक 22.09.2014 को तनकियात कायम हुई, तमाम पश्चातवर्ती कार्यवाहियां सत्यापन

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होकर 15 दिन में ही दिनांक 09.10.2014 को निर्णय पारित किया गया जो Harried decision की definition में आता है।

अधी.न्यायालय ने तीन तनकीयात निर्मित की जिसमें तनकी संख्या 1 व 2 वादिया द्वारा साबित करनी थी परन्तु तनकी संख्या 3 "आया कि पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग एवं जमाबंदी सम्वत् 2047 से ही रकबा राज चला आ रहा है इसलिए दावा खारिज योग्य है।" यह तनकी प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार घड़साना द्वारा साबित की जानी थी जिसका निर्णय प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में की गई है, जबकि अधी.न्यायालय की पत्रावली का प्रदर्श–2 जमाबंदी 2067 से 2070 का स्पष्ट अंकन विवादित भूमि सरकारी भूमि साबित है, जब यह तनकी प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार घड़साना विवादित भूमि सरकारी भूमि साबित नहीं करना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में इस तनकी आधारित डिक्री की पालना में नामान्तरणकरण संख्या 145 भरा गया जिसमें विवादित आराजी कालम संख्या 7में आराजी राज दर्ज है फिर भी तहसीलदार द्वारा नामान्तरणकरण स्वीकृत किया है जबकि तहसीलदार भूमिधारी होकर उसे इस नियम विरूद्ध फैसले की अपील करनी चाहिए, जो नहीं की गई, जो तहसीलदार द्वारा अपने दायित्यों का निर्वहन न करना साबित है।

पत्रावली के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व साक्ष्यों के परीक्षण उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कार्ष पर पहुंचता है कि :–

1. एक बहिन ने अपने भाईयों एवं एक बहिन को पक्षकार बनाकर प्रतिवादीगण भाईयों एवं बहिन जिनके नाम भूमि है ही नहीं, अपितु भूमि सरकारी दर्ज रेकार्ड है, मे प्रतिवादीगण के इकबाल दावा के आधार पर सरकारी भूमि जो अपीलांट के कब्जा में है डिक्री हासिल करना वादी, प्रतिवादीगण का Nexus होकर collusion होना प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है जो विधिक कार्यवाहियों के मोहताज हैं।

2. दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 परिक्षित होकर उसमें प्रदर्श डाला गया जो पूर्ण रूपेण विवादित आराजी को सरकारी भूमि साबित करता है फिर भी तनकी संख्या 3 का निर्णय कि तहसीलदार विवादित आराजी सरकारी भूमि है साबित नहीं की है Autocratic decision है जो साक्ष्य आधारित न होकर whims आधारित है। अतः यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय अधी.न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर तनकी संख्या 3 साबित होना प्रतिस्थापित करता है।

3. राजकीय अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य होकर, विवादित आराजी सरकारी भूमि के रूप में दर्ज योग्य है तथा अन्य बिन्दुओं की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 23 के प्रावधानुसार निर्णय की प्रति माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को परीक्षण करवाने एवं कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 के विवेचन अनुसार अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2014 खारिज किया जाता है तथा इस निर्णय की पालना में निर्णित नामान्तरण संख्या 145 प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर, इस नामान्तरण के कालम संख्या 9 से 16, कालम संख्या 1 से 8 में अंकित होकर कालम संख्या 1 से 8 के इन्द्राजात कालम संख्या 9 से 16 में अंकित कर नया नामान्तरणकरण स्वीकृत किया जाना निर्देशित किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी घड़साना व तहसीलदार घड़साना को भेजकर 1 माह में पालना रिपोर्ट मंगवाए।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर